प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **43/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

माधुसिंह राजपूत पुत्र उदयसिंह निवासीः कुरडी, पोस्ट जावड़, वाया पलाना खुर्द, तहसील–मावली, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 31.01.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/43/25/316–17 दिनांक 25.03.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं उपजिला कलक्टर मावली द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/129 दिनांक 27.03.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि आवेदन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम कुरडीय पटवार हल्का जावड के आराजी संख्या 3970, 3979, 4105, 4135 पर खनिज माईन्स संचालित मालिक/स्वामी के नाम पता एवं खनिज पट्टा स्वीकृति एवं सम्पूर्ण पत्रावली चाही गई है। उक्त सूचना खनिज विभाग से संबंधित होने से प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई/2025/34 दिनांक 05.02.2025 से सूचित किया गया कि आपके द्वारा चाही गई सूचना खनिज विभाग, उदयपुर से संबंधित है। अतः खनिज विभाग, उदयपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करें। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर निरस्त कराने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध खनिज विभाग, उदयपुर से संबंधित है और इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 34 दिनांक 05.02.2025 से निर्धारित समयावधि में नियमानुसार सूचित कर दिया गया है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-05-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर